भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4052

जिसका उत्तर 19.12.2024 को दिया जाना है

एलएमवी लाइसेंस धारकों द्वारा चालित वाणिज्यिक वाहन

4052. श्री बालाशौरी वल्लभनेनीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) लाइसेंस धारकों को परिवहन वाहन चलाने की अनुमति दे दी है और यह भी स्पष्ट किया है कि मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत किसी और प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार एलएमवी लाइसेंस धारकों को एक निश्चित वजन तक के वाणिज्यिक वाहन चलाने की अनुमति देने की योजना बना रही है या एलएमवी लाइसेंस धारकों द्वारा चलाए जाने वाले वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर निर्णय को रद्द करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रंभा देवी एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 841/2018) के मामले में दिनांक 6 नवंबर, 2024 के अपने निर्णय के माध्यम से मुकुंद देवांगन मामले (2017) में अपने पहले के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें न्यायालय ने माना था कि 'हल्के मोटर वाहन' श्रेणी के परिवहन वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पर अलग से पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। तथापि, विशेष पात्रता आवश्यकताएं ई-कार्ट, ई-रिक्शा और जोखिम वाले सामान ले जाने वाले वाहनों के लिए लागू रहेंगी।

(ख) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए सरकार द्वारा शुरू की गई कवायद को स्वीकार किया। माननीय न्यायालय ने आगे कहा कि वैधानिक खामियों को दूर करने और वर्तमान वस्तुस्थिति पर विचार करने के लिए व्यापक संशोधन के रूप में आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए।

*****